

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 394/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 12.10.2026

- ☐ थाना तरवां एवं थाना कप्तानगंज पुलिस द्वारा चोरी व ठगी के मामलों में कुल 06 अभियुक्त गिरफ्तार।
- ☐ थाना तरवां पुलिस ने चोरी के मामले में 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर मोटर पंप एवं मोटरसाइकिल के पुर्जों सहित अन्य सामान बरामद किया।
- ☐ ऑपरेशन शुरू के अंतर्गत थाना तरवां पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वाले 05 व्यक्तियों के विरुद्ध की कार्रवाई।

1. थाना तरवां पुलिस द्वारा चोरी के मामले में 05 अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का विवरण एवं गिरफ्तारी- थाना तरवां क्षेत्र में ट्यूबवेल से मोटर पंप तथा पास के खेत से मोटरसाइकिल के पुर्जे चोरी होने की घटना के संबंध में वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना तरवां पर मु0अ0सं0 206/2026, धारा 305, 331(4) एवं 317(4) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त मामले में थाना तरवां पुलिस द्वारा दिनांक 12.10.2026 को गिरफ्तार किए गए हिमांशु यादव, विशाल यादव, गौतम कुमार, आकाश कुमार एवं अंकित कुमार के कब्जे से मोटरसाइकिल की सीट, पिछले पहिये के शॉकर, सस्पेंशन, चेन सेट, हीरो इंजन नंबर AAG/814, सुपर स्प्लेंडर की टंकी, KENDA टायर, पिछला मडगार्ड, मोटरसाइकिल की डिग्गी, हेडलाइट, हैंडल, 02 स्टेबलाइजर एवं 01 मोटर पंप बरामद किया गया। गिरफ्तारी का सटीक समय उपलब्ध विवरण में अंकित नहीं है।

2. थाना कप्तानगंज पुलिस द्वारा ठगी के मामले में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का विवरण एवं गिरफ्तारी- वादिनी किरन प्रजापति पत्नी राजाराम उर्फ मोनू प्रजापति, निवासी ग्राम कौड़िया, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़ की शिकायत पर एक बुजुर्ग महिला को सरकारी योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपये दिलाने का झांसा देकर ठगी करने के मामले में थाना कप्तानगंज पर मु0अ0सं0 310/2026, धारा 318(4), 351(3) एवं 317(2) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त मामले में थाना कप्तानगंज पुलिस द्वारा दिनांक 11.10.2026 को रात्रि 21:35 बजे छत्ता के पूरा ओवरब्रिज के पास आजमगढ़ की ओर जाने वाले मार्ग से अभियुक्त नीरज उर्फ गुड्डी पत्नी रंगीले राम, निवासी कोटा खुर्द, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से पीली धातु का पान के आकार का लॉकेट, पुरानी बड़ी चांदी की एक जोड़ी पायल, एक छोटी पायल, 700 रुपये नकद तथा एक मोबाइल फोन बरामद किया गया।

3. ऑपरेशन शुरू के अंतर्गत थाना तरवां पुलिस की कार्रवाई

घटना का विवरण एवं कार्रवाई- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर अव्यवस्था उत्पन्न करने वालों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन शुरू के अंतर्गत दिनांक 11.10.2026 को थाना तरवां पुलिस द्वारा बोंगरिया बाजार के पास सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते पाए गए उपेन्द्र पासवान, रामानन्द, सूरज कुमार, राहुल कुमार एवं अमित कुमार के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की गई। कार्रवाई का सटीक समय उपलब्ध विवरण में अंकित नहीं है। कुल कार्रवाई का विवरण: चोरी एवं ठगी के मामलों में कुल 06 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए, जिनमें थाना तरवां के 05 अभियुक्त तथा थाना कप्तानगंज की 01 अभियुक्त शामिल है। इसके अतिरिक्त ऑपरेशन शुरू के अंतर्गत थाना तरवां पुलिस द्वारा 05 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई।

□ थाना फूलपुर साइबर हेल्पडेस्क की त्वरित कार्रवाई से साइबर फ्रॉड की पीड़िता को ₹1,29,914.24 की धनराशि वापस कराई गई।

□ कोको गेम एप डाउनलोड कर गेम खेलने के दौरान ₹1,30,000 की हुई थी साइबर धोखाधड़ी।

□ संबंधित बैंक खातों में धनराशि होल्ड कराकर न्यायालय के आदेश के माध्यम से पीड़िता को वापस कराई गई धनराशि।

घटना का विवरण एवं धनराशि वापसी की कार्रवाई-

थाना फूलपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रसूलपुर जोखू निवासी शिकायतकर्ता ममता पत्नी विजेन्द्र यादव द्वारा साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत संख्या 33103260051229 पंजीकृत कराई गई थी। शिकायतकर्ता के अनुसार कोको गेम नामक एप डाउनलोड कर गेम खेलने के दौरान उनके साथ लगभग ₹1,30,000 की साइबर धोखाधड़ी हुई थी।

उक्त शिकायत पर थाना फूलपुर साइबर हेल्पडेस्क द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित बैंक को नोटिस भेजकर धोखाधड़ी की धनराशि को आरोपी के बैंक खातों में होल्ड कराया गया। इसके उपरान्त माननीय न्यायालय से आदेश प्राप्त कर संबंधित बैंक के नोडल अधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए पीड़िता को धोखाधड़ी की गई कुल धनराशि ₹1,30,000 में से ₹1,29,914.24 (एक लाख उनतीस हजार नौ सौ चौदह रुपये और चौबीस पैसे) वापस कराए गए।

साइबर पुलिस टीम-

1. उ0नि0 दयानन्द, म0आ0 पूजा पाण्डेय, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़

थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़

□ प्रतिबंधित पशु के वध के मामले में प्रकाश में आया अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो बरामद।

□ पूछताछ में प्रतिबंधित पशु के अवशेष स्कॉर्पियो से ले जाकर फेंकने की बात आई सामने, अभियुक्त को न्यायालय भेजा गया।

घटना का विवरण एवं पुलिस कार्रवाई-

दिनांक 09.10.2026 को थाना निजामाबाद पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम फरिहा निवासी जाहिद पुत्र मैनुहीन के मकान में प्रतिबंधित पशु का वध कर मांस बेचा जा रहा है। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो आरोपी फरार हो गए। मौके से तीन प्लास्टिक की बोरियों में रखा मांस, एक लोहे का चापड़, लकड़ी का ठीहा तथा इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद हुआ। फील्ड यूनिट एवं पशु चिकित्साधिकारी को मौके पर बुलाकर आवश्यक जांच कराई गई तथा मांस का नमूना लेने के बाद शेष मांस को नियमानुसार निस्तारित कराया गया।

उक्त प्रकरण में दिनांक 10.10.2026 को थाना निजामाबाद पर मु0अ0सं0 259/2026, धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम एवं धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की जा रही थी। विवेचना के दौरान दिनांक 12.10.2026 को निरीक्षक जयप्रकाश यादव को सूचना मिली कि घटना से संबंधित स्कॉर्पियो ग्राम असगड़ा मुस्तफाबाद चौक पर खड़ी है। सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर वाहन चालक महफूज आजमी पुत्र सब्बीर, निवासी ग्राम फरिहा, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 28 वर्ष को दोपहर लगभग 12:30 बजे स्कॉर्पियो सहित गिरफ्तार कर लिया।

वाहन की जांच के दौरान अंदर से दुर्गंध आ रही थी तथा कई स्थानों पर खून के निशान पाए गए। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि दिनांक 09.10.2026 को उसने जाहिद के साथ मिलकर प्रतिबंधित पशु का वध करने के बाद उसके अवशेष बोरियों में भरकर इसी स्कॉर्पियो से ले जाकर कूड़ाघर में फेंके थे। विवेचना के दौरान प्रकाश में आए अभियुक्त महफूज आजमी को गिरफ्तार कर नियमानुसार माननीय न्यायालय भेज दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

महफूज आजमी पुत्र सब्बीर, निवासी ग्राम फरिहा, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 28 वर्ष।
बरामदगी-

घटना में प्रयुक्त एक स्कॉर्पियो वाहन

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-निरीक्षक जयप्रकाश यादव मु0आ0 धर्मेन्द्र कुमार यादव का0 मनीष कुमार कुशवाहा थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़

थाना साइबर क्राइम, जनपद आजमगढ़

☐ नेशनल साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस माह (NCSAM) के अंतर्गत बाबा रामदेव मेमोरियल, रानीपुर रजमो में साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित।

☐ डिजिटल अरेस्ट, फर्जी लिंक, गिफ्ट/लॉटरी स्कैम, म्यूल अकाउंट एवं सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाली साइबर ठगी के प्रति किया गया जागरूक।

☐ साइबर ठगी होने पर तत्काल हेल्पलाइन नंबर 1930 एवं www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराने की दी गई जानकारी।

कार्यक्रम का विवरण-

भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) द्वारा नेशनल साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस माह (NCSAM) के अंतर्गत साइबर अपराधों की रोकथाम एवं आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात पंकज श्रीवास्तव के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी अपराध कौस्तुभ त्रिपाठी के नेतृत्व में दिनांक 12.10.2026 को बाबा रामदेव मेमोरियल, रानीपुर रजमो, मोहम्मदपुर, जनपद आजमगढ़ में साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम के दौरान थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम द्वारा लाउडहेलर के माध्यम से प्रचार-प्रसार एवं पंपलेट वितरण कर आमजन को विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों के प्रति जागरूक किया गया। लोगों को बताया गया कि साइबर अपराधी फर्जी पुलिस अधिकारी, सीबीआई अधिकारी अथवा साइबर पुलिस अधिकारी बनकर डिजिटल अरेस्ट के नाम पर धनराशि की मांग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त फर्जी एप डाउनलोड कराने, संदिग्ध लिंक पर क्लिक कराने, गिफ्ट/लॉटरी का लालच देने, सोशल मीडिया पर अंजान व्यक्तियों से दोस्ती करने तथा म्यूल अकाउंट एवं फर्जी मोबाइल नंबरों के माध्यम से साइबर धोखाधड़ी की जाती है।

SMS फिशिंग एवं सेक्सटॉर्शन से बचाव के उपाय-

कार्यक्रम में फर्जी पार्सल/डिलीवरी, लोन एवं वित्तीय धोखाधड़ी, बिजली कनेक्शन अथवा सिम बंद करने की धमकी तथा सरकारी अधिकारी बनकर ठगी करने जैसे SMS फिशिंग के तरीकों की जानकारी दी गई। साथ ही सेक्सटॉर्शन के संबंध में बताया गया कि साइबर अपराधी फर्जी महिला प्रोफाइल बनाकर सोशल मीडिया पर दोस्ती करते हैं और वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग के माध्यम से ब्लैकमेल कर धनराशि की मांग करते हैं।

आमजन को सलाह दी गई कि अनजान व्यक्तियों की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार न करें, अज्ञात नंबरों से आने वाली वीडियो कॉल से सावधान रहें, किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें तथा अपनी व्यक्तिगत एवं बैंक संबंधी जानकारी किसी से साझा न करें।

साइबर हेल्पलाइन एवं शिकायत प्रक्रिया-

साइबर ठगी का शिकार होने पर तत्काल भारत सरकार के साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करने अथवा आधिकारिक पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराने की जानकारी दी गई। समय से शिकायत करने पर धोखाधड़ी की धनराशि को रोकने की कार्रवाई में सहायता मिल सकती है।

कार्यक्रम में उपस्थित पुलिस अधिकारी/कर्मचारी-

1. उ०नि० रजत सिंह
2. हे०का० कल्लू प्रसाद
3. का० सभाजीत मौर्य
4. का० विशाल यादव
5. का० रामाश्रय यादव
6. म०का० संज्ञा देवी
7. म०का० हसीना खातून

थाना साइबर क्राइम, जनपद आजमगढ़